

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
29-03-2022	राजेन्द्रसिंह बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर)	
	सू.अ.अ. अपील संख्या : 25 / 2022	
	<p>अपीलार्थी राजेन्द्रसिंह जोधा पुत्र अमरसिंह जोधा, पता म.नं. 150, केशवनगर नयागांव, डिंडोली रोड़ उधना, सूरत गुजरात ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 30.11.2021 में उसके द्वारा ग्राम पंचायत चोकड़ी कलां में कय विकय समिति के मेबरों की संख्या व नाम, पद सहित बिन्दुवार सत्यापित प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p>	
	<p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़सीटी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p>	
	<p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़सीटी) से जरिये पत्रांक 669 दिनांक 21.02..2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में बतलाया कि प्रार्थी द्वारा ग्राम चोकड़ी से संबंधित बिन्दु सं० 1 से 19 की सूचना विकास अधिकारी, पंचायत समिति पीपाड़शहर से संबंधित होने के कारण मूल प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के तहत कार्यालय के पत्रांक 1798 दिनांक 09.12.2021 द्वारा स्थानान्तरित किया गया तथा प्रार्थी को भी सूचनार्थ पत्र प्रेषित किया गया।</p>	
	<p>चूंकि लोक सूचना अधिकारी की प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विधिक प्रकिया के तहत संबंधित लोक सूचना अधिकारी (विकास अधिकारी पंचायत समिति पीपाड़शहर) को स्थानान्तरित कर दिया गया तथा लोक सूचना अधिकारी (विकास अधिकारी पंचायत समिति पीपाड़शहर) द्वारा सूचना नहीं दी गई उनके प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रधान, पंचायत समिति पीपाड़शहर है तथा अपील उनके समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य है, परन्तु प्रशासनिक स्तर पर विकास अधिकारी पंचायत समिति पीपाड़शहर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करावे। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जा रहा है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	